

## कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़

पत्रांक : 665/एन0जी0टी0/ओ0ए0 संख्या-421/2023

दिनांक - 13/06/2024

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
अलीगढ़।

सेवा में,

रजिस्ट्रार  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2024 के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....1. Notice was issued to respondent 4 through District Magistrate, Aligarh vide office letter dated 25.11.2023 but no service report has been filed by District Magistrate as to whether notice of present proceedings have been served upon respondent 4 or not.

2. Let District Magistrate submit a compliance Report within two weeks failing which he shall appear in person on the next date.

3. Registry is also directed to serve respondent 4 in accordance with Rules, at Village Tamotia, Tehsil Iglas, District Aligarh....."

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि पूर्व में मा0 न्यायालय द्वारा जारी Consultant (Judicial) नोटिस दिनांक 25.11.2023 की प्रति, मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.10.2023 की प्रति एवं संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 01.09.2023 की प्रति उद्योग प्रतिनिधि को दिनांक 09.01.2024 को प्राप्त करा दी गयी हैं। (संलग्नक-1) अग्रेतर मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.04.2024 के अनुपालन में मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग, ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का अद्यतन निरीक्षण जनपद स्तर पर गठित अन्तर्विभागीय संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.05.2024 को किया गया है तथा ईट भट्ठा पूर्ण रूप से बन्द पाया गया है। (संलग्नक-2)

उपरोक्त अनुपालन आख्या समस्त संलग्नकों सहित आपके अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(विशाख जी0)  
जिलाधिकारी,  
अलीगढ़

कार्यालय

जिलाधिकारी,

अलीगढ़

पत्रांक: 1777/OA No -421/2023

दिनांक: 07.12.23

प्रोपराइटर/पार्टनर

मै० रेवती बलराम ईट भद्रा,

ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास,

जनपद-अलीगढ़

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ०ए० संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ०प्र० राज्य में पास्ति मा० Consultant (Judicial) NGA के नोटिस दिनांक 25.11.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जोकि निम्नवत है-

3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Aligarh, (3) State PCB and (4) the Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kln, who stand Impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within three months at judicial\_ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of image PDF.
4. Notice be served on Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kln through the District Magistrate, Aligarh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Aligarh by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard.
5. List the matter for further consideration on 16.02.2024.

उक्त जारी आदेशों के अनुपालन में उक्त नोटिस एवं मा० एन०जी०टी० के आदेश दिनांक 20.10.2023 एवं संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(इन्द्र विक्रम सिंह)  
जिलाधिकारी, अलीगढ़।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. Consultant (Judicial), मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त ईट भद्रा को वर्णित प्रपत्र प्राप्त कराकर सूचित करें।

पार्टनर

9-1-24  
अभिषेक (जोशिया)

जिलाधिकारी, अलीगढ़



2  
क्षेत्रीय कार्यालय 23 प्रयोगशाला  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

जे-1, ज्ञान शरोवर कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ़

पत्रांक ..... 1157/ए.एन-747/2023

दिनांक ..... 01/09/2023

सेवा में,

रजिस्ट्रार महोदय,  
मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-421/2023, भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ.ए. संख्या-421/2023, भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 31.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के अनुपालन में जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1086/ओ.ए.-421/2023 दिनांक 17.08.2023 के द्वारा ईट भट्टा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण किये जाने हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99722/सी-4/विधि/एनजीटी नं.-453/2023 दिनांक 22.08.2023 के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एनजीटी का आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

उक्त समिति द्वारा ईट भट्टा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 24.08.2023 एवं दिनांक 28.08.2023 को किया गया है। संयुक्त निरीक्षण आख्या पत्र के साथ मूलरूप में संलग्न है। जिलाधिकारी, अलीगढ़ के कार्यालय आदेश दिनांक 17.08.2023 के द्वारा गठित समिति के अधिकारियों को संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई-मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या मा0 एन0जी0टी0 की ई-मेल आई0डी0: judicial-ngt@gov.in के माध्यम से अपलोड की गयी है। संयुक्त निरीक्षण पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : संयुक्त निरीक्षण आख्या।

भवदीय

(डॉ० जे०पी० सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़।
2. उपजिलाधिकारी तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़।
3. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. श्री प्रदीप मिश्रा, बोर्ड अधिवक्ता, वी-235, सेक्टर-19, नोएडा।


क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

12

राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ.ए. संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 को आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है:-

1. Bheekambar Singh, resident of Gorai, Tehsil Iglas, District Aligarh has sent the present letter petition which has been treated and registered as Original Application complaining that Revati Balram Brick Kiln is being run at Tamotia, Gorai Road Beswa, Aligarh in violation of environmental norms. The Project Proponent is digging soil without permission and without payment of royalty. The consent to operate obtained from UPPCB has also expired but the brick kiln is being illegally run in violation of environmental norms causing serious risks to the health of the residents of the locality.
2. Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of State PCB and District Magistrate, Aligarh and direct the same to meet within two weeks, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representative of the concerned project proponent; verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the project proponent. The State PCB will be the nodal agency for coordination and compliance.
3. Factual and Action taken Report may be submitted within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
4. List for further consideration on 15.09.2023.
5. A copy of this order, along with a copy of the application and documents attached with the same, be forwarded to the Member Secretary, State PCB and District Magistrate, Aligarh by e-mail for compliance.

 38  
1/3

उक्त जारी आदेश के अनुपालन में मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), टमोठिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ में स्थित ईट भट्टा की जांच किये जाने हेतु कार्यालय जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1086/ओ0ए0-421/2023 दिनांक 17/08/2023 (छायाप्रति संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है) के

द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों की टीम गठित की गयी है:-

1. उप जिलाधिकारी, तहसील-इगलास, जनपद अलीगढ़।
2. सहायक पर्यावरण अभियन्ता/अवर अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
3. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99722/सी-4/विधि/एनजीटी नं.-453/2023 दिनांक 22.08.2023 (छायाप्रति संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है) के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ को मा0 एनजीटी का आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में राज्य बोर्ड के प्रतिनिधित्व हेतु नामित किया गया है।

मा0 एनजीटी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/07/2023 के अनुपालन में उक्त समिति के द्वारा ईट भट्टा मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम मै0 बांके बिहारी ईट उद्योग), ग्राम-टमोठिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण दिनांक 24/08/2023 एवं दिनांक 28/08/2023 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टे पर श्री मुरारी लाल शर्मा (दुनीम) उपस्थित थे। निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता श्री भीकम्बर सिंह निवासी-ग्राम-गोरई, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ से वार्ता की गयी। शिकायतकर्ता श्री भीकम्बर सिंह के पत्र दिनांक 28.09.2023 के द्वारा अवगत कराया गया है कि शिकायत किसी असामाजिक तत्व की हरकत है, मूल उत्तरदाता के द्वारा किसी प्रकार की कोई शिकायत उक्त भट्टे के सम्यन्ध में नहीं की गयी है (छायाप्रति संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है)। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-


1. कार्यालय अभिलेखानुसार ईट भट्टे की उत्पादन क्षमता-20,000 ईट/दिन का है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित नहीं पाया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा नैचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया।
2. ईट भट्टे के अक्षांश-27.670113 व देशान्तर-77.865109 है। निरीक्षण के समय ईट भट्टे का आकार अण्डाकार पाया गया। ईट भट्टे की चिमनी वृत्ताकार पायी गयी।
3. निरीक्षण के समय ईट भट्टे की चिमनी पर फ्लू गैसों के अनुभवण हेतु प्लेटफार्म एवं पोर्टहोल मानकों के अनुरूप नहीं पाये गये। निरीक्षण के समय खींचे गये फोटोग्राफ संलग्न हैं। छायाप्रति संलग्नक-4 के रूप में संलग्न है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त ईट भट्टा वर्ष-2005 से स्थापित है। क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1955/एन.ओ.सी.-377/2005 दिनांक 25.11.2005 के द्वारा मै0 ओम ईट उद्योग, ग्राम-टमोठिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ के नाम से स्थापनार्थ सहमति निर्गत की गयी है। व्यापारकर विभाग के द्वारा जारी पंजीकरण एवं टिन संख्या-09225208393 दिनांक 16/03/2011 की छायाप्रति संलग्न है। छायाप्रति संलग्नक-5 के रूप में संलग्न है।
5. ईट भट्टे द्वारा मिट्टी, बालू एवं पानी को मुख्य कच्चे माल के रूप में प्रयोगकर पथाई एवं पकाई आदि प्रक्रिया द्वारा ईट का उत्पादन किया जाता है।
6. ईट भट्टा में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं कच्ची ईट बनाने हेतु मिट्टी भिक्षिंग में किया जाता है।
7. ईट भट्टे में उत्पादन प्रक्रिया से औद्योगिक उत्प्राह जनित नहीं होता है। मात्र घरेलू उत्प्राह जनित होता है, जिसके निस्तारण हेतु सैट्टिक टैंक/सोकपिट की स्थापना की गयी है।
8. ईट भट्टे में ईंधन के रूप में कोयले/तूरी का प्रयोग लगभग 3 मी.टन/दिवस किया जाता है। ईट भट्टे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के निस्तारण हेतु भू-तल से लगभग 30 मीटर ऊँची पक्की चिमनी स्थापित किया गया है। ईट भट्टे में ईंधन के दहन से जनित उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर स्थापित पाये गये।

30  
 2/3  
 10

- निरीक्षण के समय ईट भट्टे की ट्रेन्च में लगभग-7 लाख पक्की ईट भरी हुई पायी गयी तथा ईट भट्टा परिसर में लगभग-10 लाख पक्की ईट भण्डारित पायी गयी।
- उक्त ईट भट्टे को वर्तमान में संचालन हेतु सहमति (जल/वायु) प्रदान नहीं है।
- गा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर ओ0ए0 सं0-253/2021 झम्मनलाल गौतम बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 08/07/2022 के अनुसार जनपद-अलीगढ़ में जिग-जैग तकनीकी पद्धति पर स्थापित तथा सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये जाने के उपरान्त ही ईट भट्टा संचालित किये जायें।
- उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र संख्या-एच93860/सी-4/सा-II-755/का0ब0नो0/2023 दिनांक 19/05/2023 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम-1981 यथासंशोधित धारा-31ए के अन्तर्गत रू0 3,62,500/- के रूप में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जो वर्तमान में प्रभावी है।
- कारण बताओ नोटिस की छायाप्रति संलग्नक-6 के रूप में संलग्न है।
- बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के द्वारा दिनांक 08/08/2023 को किया गया तथा क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगढ़ के पत्र संख्या-1084/एएस-747/2023 दिनांक 16/08/2023 के द्वारा कारण बताओ नोटिस दिनांक 19/05/2023 की पुष्टि करते हुए आख्या बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित की गयी है।
- उक्त ईट भट्टे को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-एच99946/सी-4/ईट-1256/बन्दी आदेश/2023 दिनांक 25/08/2023 के द्वारा बन्दी आदेश जारी किया गया है, जोकि वर्तमान में प्रभावी है। बन्दी आदेश की छायाप्रति संलग्नक-7 के रूप में संलग्न है।
- उक्त ईट भट्टे को सहमति (जल/वायु) प्राप्त न होने के कारण ईट भट्टा द्वारा वर्ष 2022-23 का विनियमन शुल्क जमा नहीं किया गया है।


उपरोक्त संयुक्त निरीक्षण आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

  
(मनोज कुमार)  
नायब तहसीलदार  
तहसील-इगलास, अलीगढ़

  
(मनीष यादव)  
खान अधिकारी,  
अलीगढ़

  
(अजय कुमार)  
सहायक पर्यावरण अधिकारी  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़

  
(डॉ0 जे0पी0 सिंह)  
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़

  
(महिमा)  
उपजिलाधिकारी-इगलास,  
अलीगढ़।

Item No. 04

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

Original Application No. 421/2023

Bheekambar Singh

Applicant

Versus

State of U.P. &amp; Ors.

Respondents

Date of hearing: 20.10.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER  
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER**

Applicant: None for the Applicant.

Respondent: Mr. Pradeep Misra, Advocate for UPPCB

**Application is registered based on a letter petition received by post.**

**ORDER**

1. Vide order dated 19.07.2023 notices were ordered to be issued to the respondents and Joint Committee was constituted with direction to verify the factual position and submit its report.
2. In compliance thereof report of the Joint Committee has been filed vide email dated 01.09.2023 and by post on 11.09.2023.
3. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) District Magistrate, Aligarh, (3) State PCB and (4) the Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents no. 1 to 4 requiring them to file their reply/response within three months at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

O.A No. 421/2023

Bheekambar Singh Vs. State of U.P. & Ors.

-2-

4. Notice be served on Project Proponent- M/s Revati Balram Brick Kiln through the District Magistrate, Aligarh and for this purpose notice issued to the Project Proponent be sent to the District Magistrate, Aligarh by E-mail for getting service of the same effected on it and sending his report in this regard
5. List the matter for further consideration on 16.02.2024.
6. A copy of this order be sent to District Magistrate, Aligarh by email for requisite compliance.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 20<sup>th</sup>, 2023  
AG





10 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम-श्री बांकेबिहारी ईट उद्योग) (अक्षांश-27.070113 एवं देशान्तर-77.005100), ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास जनपद-अलीगढ़ की निरीक्षण आख्या के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित ईट भट्ठे के विरुद्ध गा० राष्ट्रीय हरित, ओ०ए० संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ०प्र० सरकार व अन्य में दिनांक 03.04.2024 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है-

"..... 10. In view of the provisions made in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating this Tribunal to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19 (4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010 Mr. Rajveer Singh and Mr. Ramveer Singh-the proprietors of Brick kiln are directed to desist from operating the brick kiln till further orders by this Tribunal to the contrary and the District Magistrate and Superintendent of Police, Aligarh are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln is not operated illegally by Mr. Rajveer Singh and Mr. Ramveer Singh-the proprietors of Brick kiln or any other person.

11. A copy of this order be sent to the District Magistrate and Superintendent of Police, Aligarh by email for requisite compliance. ...."

उक्त आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 10.05.2024 के माध्यम से रागिति गठित की गयी। गठित समिति द्वारा ईट भट्ठे का निरीक्षण दिनांक 12.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा बन्द होने के कारण कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं मिला। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है-



निरीक्षण के समय ईट भट्ठा नेचुरल ड्राफ्ट पद्धति पर स्थापित पाया गया तथा कोई भी कच्ची-पक्की ईट भट्ठे के ट्रेंच में अथवा ट्रेंच के बाहर नहीं पायी गयी, जिससे प्रतीत होता है कि ईट भट्ठा विगत कई माह से संचालित नहीं है। निरीक्षण के समय ईट भट्ठे की चिमनी पर पोर्टहोल, प्लेटफार्म, सीढ़ी आदि की व्यवस्था स्थापित नहीं पायी गयी। आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

सिद्ध प्रसाद  
सहायक अभि०  
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
अलीगढ़

S Singh  
(जिला खान अधिकारी)  
अलीगढ़

(क्षेत्राधिकारी पुलिस)  
तहसील-इगलास,  
अलीगढ़

(उपजिलाधिकारी)  
तहसील-इगलास,  
अलीगढ़

कायालय जजलाधकारा अलागढ़

पत्रांक: 379/0ANo-421/2024

दिनांक: 10-05-24

कार्यालय आदेश

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या-421/2023 भीकम्बर सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में दिनांक 03.04.2024 को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है-

".....10. In view of the provisions made in Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating this Tribunal to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19 (4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010 Mr. Rajveer Singh and Mr. Ramveer Singh-the proprietors of Brick kiln are directed to desist from operating the brick kiln till further orders by this Tribunal to the contrary and the District Magistrate and Superintendent of Police, Aligarh are directed to take all requisite measures for ensuring that the brick kiln is not operated illegally by Mr. Rajveer Singh and Mr. Ramveer Singh-the proprietors of Brick kiln or any other person.

11. A copy this order be sent to District Magistrate and Superintendent of Police, Aligarh by email for requisite compliance .....

मा0 न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 श्री बांकेबिहारी ईट उद्योग), ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का संचालन पूर्ण रूप से बन्द किये जाने हेतु निम्न अधिकारियों की समिति का गठन किया जाता है-

1. उपजिलाधिकारी, तहसील-इगलास, अलीगढ़।
2. क्षेत्राधिकारी पुलिस, तहसील-इगलास, अलीगढ़।
3. सहायक पर्यावरण अभियन्ता (द्वितीय), क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, अलीगढ़।
4. जिला खान अधिकारी, अलीगढ़।

अतः समिति के सदस्यों को निर्देशित किया जाता है कि मै0 रेवती बलराम ईट उद्योग (पूर्वनाम-मै0 श्री बांकेबिहारी ईट उद्योग), ग्राम-टमोटिया, तहसील-इगलास, जनपद-अलीगढ़ का निरीक्षण कर ईट भट्टे का संचालन कार्य पूर्ण रूप से बन्द कराकर अनुपालन आख्या विलम्बतम दिनांक 11.05.2024 तक अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(विशाख जी०)

जिलाधिकारी

अलीगढ़

पृ0सं0 एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-समिति के सदस्यों को अनुपालन हेतु।

जिलाधिकारी